संख्या-31/2023/I/407926/38-2-2002(002)/3/2023

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय,
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बक्शी का तालाब, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 16 अक्टूबर, 2023**

विषयः- **विभाग द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-482/1/प्रशि0/बजट आवंटन/(4)/2023-24, दिनांक 20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 05 मई, 2022 में विभागाध्यक्ष स्तर से ही अधीनस्थ कार्यालयों के विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने के निर्देश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान " के मानक मद 09-विद्युत देय में कुल धनराशि रू0 45.00 लाख को "2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ " के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण-क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान " के मानक मद 09-विद्युत देय में कुल धनराशि रू0 45.00 लाख को "2515- अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-04-दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ " के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ का होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यक धनराशि का ही आहरण कोषागार से यथावश्यकता चरणों में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-27/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 013 **लेखा शीर्षक** 2515001020400 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शी का तालाब लखनऊ **मानक मद** 09 विद्युत देय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2023/I/407926/38-2-2002(002)/3/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
7- ग्राम्य विकास अनु0-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/407927/2023
I/403021/2023

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20232024-38-2002-002-3-2023

विषय:- विभाग द्वारा उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	09 (विद्युत देय)	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	-45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	0	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020400 (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान ,बक्शीका तालाब लखनऊ)	09 (विद्युत देय)	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	1,55,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागाध्यक्षों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को मानक मद 09-विद्युत देय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवंटन न किये जाने एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। अतः शासनादेश में निहित व्यवस्था के क्रम में क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान को मानक मद 09- विद्युत देय में आवंटित धनराशि रू0 45.00 लाख को दीनदयाल उपाध्याय, ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के मानक मद 09-विद्युत देय मद में अन्तरित किया जाना है।

संख्या:आर.ई.-बजट-1-125-ई-2-149-2023-24, दि0 06-10-2023

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0 प्र0 प्रयागराज।

Signed by प्रहलाद बरनवाल
Date: 12-10-2023 17:10:06
Reason: Approved
(प्रहलाद बरनवाल)

संयुक्त सचिव

Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 06-10-2023 14:02:01
Reason: Approved
(रमेश चन्द्र तिवारी)

उपसचिव